कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18651/2019 सुभाष चन्द अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 03.12.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री सुभाष चन्द अग्रवाल, (स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुतपुरा जिला जयपुर से राउमावि अमर शहीद सागरमल गोपा, जैसलमेर) को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि हनुतपुरा जिला जयपुर में पूर्ववत पदस्थापित किया गया था एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री बद्री प्रसाद रैगर को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदुपरान्त विभागीय आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/एसबीसिया/गोपालसिंह/20280/2019 दिनांकः 24.12.2019 द्वारा श्री रैगर का अन्तरिम समायोजन राउमावि अमर शहीद सागरमल गोपा, जैसलमेर किया गया।

याचिका संख्या 18651/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 31.01.2020 द्वारा श्री सुभाष चन्द अग्रवाल को माननीय न्यायालय द्वारा जयपुर जिले में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देशों के साथ पूर्व में जारी स्थगनादेश को अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 श्री बद्री प्रसाद रैगर के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति में श्री बद्री प्रसाद रैगर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुतपुरा, जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री सुभाष चन्द अग्रवाल का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कान्ट, शाहपुरा जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार श्री सुभाष चन्द अग्रवाल के सम्बन्ध में जारी उक्त आदेश को पूर्व उदाहरण/नजीर के रूप में पेश नहीं किया जावे।**

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/सुभाष चन्द/18651/2019 दिनांकः 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)